संख्या– 161 /XVIII(1)/2013–3(1)/20

प्रेषक,

ओम प्रकाश
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

अ० मु० रा० आ०

सेवा में,

मा० अध्यक्ष,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

अध्यक्ष,
11-02-2013

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 08 फरवरी, 2013

विषयः– राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड देहरादून के संरचनात्मक/कार्मिक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा–87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2408/राजस्व/2001 दिनांक 26 सितम्बर, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत राजस्व परिषद के स्थान पर उत्तराखण्ड राज्य में "मुख्य राजस्व आयुक्त" कार्यालय का गठन करते हुए कार्यालय के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदो का निर्धारण किया गया था तथा शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010-3(1)/2008 दिनांक 29 मार्च, 2010 द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के ढांचे का पुनर्गठन किया गया एवं पुनः शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–571/XVIII(1)/2012-3(1)/2008 दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त, कार्यालय के स्थान पर राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड गठित किये जाने की स्वीकृति निर्गत की गयी। वर्तमान में पूर्व में स्वीकृत ढांचे को राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के अनुरूप पुनर्स्थापित/पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत राजस्व परिषद द्वारा उपब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक बिचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में अधिकारियों/कार्मिकों के पदों एवं वेतनमानों को निम्नानुसार पुनर्गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र० सं०	पद नाम	वेतनमान (रू० में)	पूर्व में स्वीकृत पद	वर्तमान में स्वीकृत किये जा रहे पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	6	7
1.	अध्यक्ष, राजस्व परिषद	शीर्षस्थ वेतनमान 80000/– (नियत)	01	01	• पूर्व से सृजित पद। • अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से भरा जायेगा।
2.	आयुक्त एवं सचिव	37400–67000 ग्रेड पे–8700	01	01	• अखिल भारतीय सिविल सेवा संवर्ग/राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा भरा जायेगा। • शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010 3(1)/2008 दिनांक 29.03.2010 द्वारा अपर मुख्य राजस्व आयुक्त (मुख्यालय) देहरादून के सृजित पद को आयुक्त एवं सचिव के रूप में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

					• मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा राजस्व वादों के सम्बन्ध में पारित आदेशों के विरुद्ध अपील राजस्व परिषद में की जाती है अतः परिषद में आयुक्त एवं सचिव के पद पर आयुक्त समकक्ष अथवा उच्च पदधारक की नियुक्ति किये जाने के दृष्टिगत इसका वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे–8700 में रखा जा रहा है। • आयुक्त एवं सचिव द्वारा परिषद के प्रशासकीय कार्यों के अतिरिक्त सदस्य न्यायिक के रूप में गढ़वाल मण्डल सर्किट कोर्ट एवं मुख्यालय/परिषद के न्यायिक कार्यों का भी निस्पादन किया जायेगा।
3.	सदस्य न्यायिक	37400–67000 ग्रेड पे–8700	02	01	• अखिल भारतीय सिविल सेवा संवर्ग/राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा भरा जायेगा। • शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010-3(1)/2008 दिनांक 29.03.2010 द्वारा कुमाऊं मण्डल सर्किट कोर्ट के कार्यों हेतु स्वीकृत अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के पद को सदस्य न्यायिक के पद में प्रतिस्थापित किया जा रहा है एवं इस शासनादेश दिनांक 29.03.2010 द्वारा सृजित अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, सर्किट कोर्ट पौडी का पद समाप्त किया जा रहा है। • मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा राजस्व वादों के सम्बन्ध में पारित आदेशों के विरुद्ध अपील राजस्व परिषद में की जाती है अतः परिषद में आयुक्त एवं सचिव के पद पर आयुक्त समकक्ष अथवा उच्च पदधारक की नियुक्ति किये जाने के दृष्टिगत इसका वेतनमान 37400–67000 ग्रेड पे–8700 में रखा जा रहा है।
4.	उप राजस्व आयुक्त (भूमि व्यवस्था)	15600–39100 ग्रेड पे–6600	01	01	• राज्य प्रशासनिक सेवा से भरा जायेगा।
5.	उप राजस्व आयुक्त(प्रशासन)	15600–39100 ग्रेड पे–6600	01	01	• राजस्व परिषद सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी/सहायक राजस्व आयुक्त द्वारा पदोन्नति से।
6.	सहायक राजस्व आयुक्त(प्रशासन)	15600–39100 ग्रेड पे–6600	01	01	• पूर्व में सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासन) का पद 15600–39100 ग्रेड पे–5400 में स्वीकृत था। चूंकि इस पद पर परिषद के अनुभाग अधिकारी द्वारा पदोन्नति द्वारा भरा जाना है अतः इस पद का वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे–6600 में उच्चीकृत किया जा रहा है।
7.	संयुक्त निबन्धक	9300–34800 ग्रेड पे–4800	01	—	• पूर्व में स्वीकृत यह पद समाप्त किया जा रहा है।
8.	स्टाफ आफिसर, मा0 अध्यक्ष राजस्व परिषद	15600–39100 ग्रेड पे–6600	01	01	• राज्य प्रशासनिक सेवा से भरा जायेगा। • शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010-

					3(1)/2008 दिनांक 29.03.2010 द्वारा स्वीकृत वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे–4800 को उच्चीकृत करते हुए वेतनमान 15600–39100 ग्रेड पे–6600 में किया जा रहा है।
9.	अनुभाग अधिकारी	15600–39100 ग्रेड पे–5400	06	06	• पूर्व में यह पद 9300–34800 ग्रेड पे–4800 में स्वीकृत था। • राजस्व परिषद की पैरिटी सचिवालय के समान होने के आधार पर परिषद में अनुभाग अधिकारी का वेतनबैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे–5400 उच्चीकृत/संशोधित किया जा रहा है।
10.	समीक्षा अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे–4800	15	15	• पूर्व में यह पद 9300–34800 ग्रेड पे–4200 में स्वीकृत था। • राजस्व परिषद की पैरिटी सचिवालय के समान होने के आधार पर परिषद में समीक्षा अधिकारी का वेतनबैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे–4800 उच्चीकृत/संशोधित किया जा रहा है।
11.	सहायक समीक्षा अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे–4200	12	11	• पूर्व में यह पद 5200–20200 ग्रेड पे–2800 में स्वीकृत था। • वर्तमान में स्वीकृत पदों में से 01 पद समाप्त किया जा रहा है। • राजस्व परिषद की पैरिटी सचिवालय के समान होने के आधार पर परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी का वेतनबैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे–4200 उच्चीकृत/संशोधित किया जा रहा है।
12.	नायब तहसीलदार	9300–34800 ग्रेड पे–4200	01	01	—
13.	वरिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	—	—	—	• यह पद आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा। यदि इस पद के सापेक्ष पूर्व से कोई कार्मिक/अभ्यर्थी कार्यरत है तो उसके लिए यह पद सृजित समझा जायेगा।
14.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–2000	01	—	• यह पद आउटसोर्सिंग से भरा जायेगा। यदि इस पद के सापेक्ष पूर्व से कोई कार्मिक/अभ्यर्थी कार्यरत है तो उसके लिए यह पद सृजित समझा जायेगा।
15.	वित्त नियंत्रक	संवर्गानुसार	01	01	• लेखा संवर्ग से शासन के वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
16.	वित्त अधिकारी (ऑडिट)	15600–39100 ग्रेड पे–5400	01	01	• लेखा संवर्ग से शासन के वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
17.	लेखाकार	9300–34800 ग्रेड पे–4200	07	06	• वर्तमान में स्वीकृत पदों में से 01 पद समाप्त किया जा रहा है।
18.	सहायक लेखाकार	5200–20200 ग्रेड पे–2800	04	02	• वर्तमान में स्वीकृत पदों में से 02 पद समाप्त किया जा रहा है।
19.	वरिष्ठ निजी सचिव	15600–39100 ग्रेड पे–6600	01	01	• राजस्व परिषद की पैरिटी सचिवालय के समान होने के आधार पर परिषद में निजी सचिव

					के समान वरिष्ठ निजी सचिव पदनाम प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
20.	निजी सचिव	15600–39100 ग्रेड पे–5400	01	01	• पूर्व में यह पद 9300–34800 ग्रेड पे–4800 में सृजित था। • राजस्व परिषद की पैरिटी सचिवालय के समान होने के आधार पर निजी सचिव ग्रेड–2 का पदनाम निजी सचिव एवं वेतनबैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे–5400 में उच्चीकृत/संशोधित किया जा रहा है।
21.	अपर निजी सचिव	9300–34800 ग्रेड पे–4800	01	01	• पूर्व में यह पद 9300–34800 ग्रेड पे–4200 में सृजित था। • राजस्व परिषद की पैरिटी सचिवालय के समान होने के आधार पर अपर निजी सचिव का वेतनबैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे–4800 में उच्चीकृत/संशोधित किया जा रहा है।
22.	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड पे–2800	06	05	• पूर्व में यह पद 5200–20200 ग्रेड पे–2400 में सृजित था। • वर्तमान में सृजित पदों में से 01 पद समाप्त किया जा रहा है। • आशुलिपिक ग्रेड–2 सह डाटा इन्ट्री आपरेटर 5200–20200 ग्रेड पे–2400 के स्थान पर नया पदनाम एवं वेतनमान उच्चीकृत वेतन ग्रेड–2800 किया जा रहा है।
23.	वाहन चालक	5200–20200 ग्रेड पे–1900	04	04	• अधिसंख्यक पद • ये पद आउटसोर्सिंग (OUT-SOURCING) से भरे जायेंगे।
24.	परिचारक	5200–20200 ग्रेड पे–1800	08	08	• अनुसेवक के स्थान पर नया पदनाम • अधिसंख्यक पद • 08 पद आउटसोर्सिंग से भरे जायेंगे।
	योग		78	70	

2– शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010-3(1)/2008 दिनांक 29 मार्च, 2010 को उपरोक्त सीमा तक अतिक्रमित समझा जायेगा शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–138/XXVII(7)/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2013 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

4– पुनर्गठित ढांचे मे अधिकारियों/कार्मिकों के पदनाम/वेतनमान सचिवालय के समकक्षता के आधार पर रखे गये है, को उच्चीकृत वेतन, भत्ते वित्त विभाग के सचिवालय एवं सचिवालय के समकक्षता प्राप्त विभागों के कार्मिकों को अनुमन्य होने की तिथि से अनुमन्य होंगे।

भवदीय,

Om Prakash

(ओम प्रकाश)

प्रमुख सचिव

GO (1).doc

संख्या- /XVIII(1)/2013 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
8. महानिदेशक, पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
15. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– 1105/XVIII(1)/2015-03(1)/2008

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादून: दिनांक 16 जुलाई, 2015

विषय:– राजस्व परिषद अधिष्ठान में कनिष्ठ सहायक/सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों को सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–457/XVIII(1)/2010-03(1)/2008 दिनांक 29 मार्च, 2010 द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन करते हुए सृजित कुल 78 पदों के सृजन/पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तत्पश्चात शासनादेश संख्या–161/XVIII(1)/2013-03(1)/2008 दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा पुनः संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन कर राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड में अधिकारियों/कार्मिकों के कुल 70 पदों के सृजन/पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में राजस्व परिषद अधिष्ठान में कनिष्ठ सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदों को सृजित किये जाने के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–1729/एक–1/रा0प0–अधिष्ठान/2014 दिनांक 08 जुलाई, 2014 पर शासन स्तर में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले कनिष्ठ सहायक के 03 (तीन) पद को कनिष्ठ सहायक/डाटा इन्ट्री आपरेटर के अतिरिक्त पदों में समायोजित करते हुए आउटसोर्सिंग को समाप्त कर, आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी पूर्व में हो, से दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के लिए, बशर्ते कि निम्न पद बिना किसी पूर्व सूचना के इसके पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, सृजित्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत किये जा रहे पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ सहायक सह डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200 ग्रेड पे–2400	08	इस पद पर भर्ती/पदोन्नति उत्तराखण्ड अधीनस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 समय–समय पर यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुरूप सम्पादित की जायेगी।

3– उक्त पदधारकों को उक्त पद के वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर अनुमन्य किये गये महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6–लेखाशीर्षक–2053–जिला प्रशासन–101–आयुक्त–03–मुख्य कार्यालय के सम्बन्धित मद के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–63NP/वि0अनु0–5/2015 दिनांक 16 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

2–

संख्या- / /XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
9. वित्त अनुभाग-5/7, उत्तराखण्ड शासन।
10. कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक सूचना निदेशालय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव

Letter.doc

उत्तराखण्ड शासन,
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / XVIII(1)/2015-3(1)/2008
देहरादून: दिनांक: 26 अगस्त, 2015

कार्यालय आदेश

राजस्व परिषद अधिष्ठान में कनिष्ट सहायक/सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के सृजित 08 पदों की स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–1105/XVIII(1)/2015-03(1)/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2015 को निम्नवत् स्तम्भ–2 के अनुसार आंशिक संशोधित किया जाता है–

शासनादेश संख्या–1105/XVIII(1)/ 2015-03(1)/2008 दिनांक 23 जुलाई, 2015 के प्रस्तर–4 में उल्लिखित।	संशोधन
1	2
इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2053 –जिला प्रशासन–101–आयुक्त–03–मुख्य कार्यालय के सम्बन्धित मद के नामें डाला जायेगा।	इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्यय के अनुदान संख्या–06 के आयोजनेत्तर पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक –2029 – भू–राजस्व– 00–001–निदेशन तथा प्रशासन– 04–राजस्व आयुक्त अधिष्ठान–00–की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

2– उक्त शासनादेश स्तम्भ–2 की सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शासनादेश की शर्तें यथावत् रहेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या–79NP/XXVII(5)/2015 दिनांक 25 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

(जे० पी० जोशी)
अपर सचिव

संख्या–1182/XVIII(1)/2015 एवं तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार उत्तराखण्ड, (आडिट) वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/7, नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Alok
(आलोक कुमार सिंह)
अनु सचिव